न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 62/2023**(GCMS : 2023/78)

ए यू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिसा लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, शाखा ार्यालय–4–ई–8–जवाहरनगर, प्रथम तल, मीरा चौंक रोड़ नजदीक गौड हास्पीटल, श्रीगंगानगर, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता –पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **पंकज कुमार** पुत्र श्री हरिराम निवासी 13 एफएफ पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

2. **अर्चना** पुत्री श्री राम कुमार निवासी मांझुवास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से श्री सुरेन्द्र मेहन्दीरत्ता अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थी पंकज कुमार एवं अर्चना द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में प्रार्थी पंकज कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नम्बर 22, बुक नम्बर 44, ग्राम पंचायत 13 एफए मानकरसर (क्षेत्रफल 2109 सक्वायर फुट) पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है और** यदि प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2023.11.17 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अप्रार्थी पंकज कुमार एवं अर्चना के विरूद्ध ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पंकज कुमार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नम्बर 22, बुक नम्बर 44, ग्राम पंचायत 13 एफए मानकरसर (क्षेत्रफल 2109 सक्वायर फुट) पंचायत समिति श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है, जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:15 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर